

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 19(1)साप्र / 2 / 2018

-: आदेश :-

जयपुर, दिनांक : 10 DEC 2021.

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी में एफ-श्रेणी (स्वतंत्र) की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार शर्तों के आधार पर एतदद्वारा आवणित किया जाता है:-

क्र. सं.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.	149	श्री विष्णु कुमार शर्मा नर्स ग्रेड-गा, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	30.04.2030	एफ-129 गांधीनगर (एफ-71, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
2.		श्री राजकुमार गुप्ता नर्स ग्रेड-गा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	31.05.2044	एफ-43, गांधीनगर (एफ-44, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
3.	363	श्री सत्यपाल यादव सहायक प्रशासनिक अधिकारी सीआईडी (सी०बी०) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	30.06.2029	एफ-61, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) (4-बी-7, बहुमंजिला, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
4.	418	श्रीमती मीना महावर नर्स ग्रेड-1 जे.के. लॉन चिकित्सालय, जयपुर।	31.08.2029	एफ-199 गांधीनगर (4/107, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
5.	428	श्री किशनाराम सहायक अनुभागाधिकारी वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2041	एफ-88, गांधीनगर (4-सी-9, बहुमंजिला, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
6.	443	श्री अविनाश खाण्डणा कर सहायक, वृत्त-एच, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।	31.03.2048	एफ-69, गांधीनगर (4/96, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
7.	444	श्री गोपाल लाल मीना सहायक अनुभागाधिकारी गृह (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2050	एफ-163 गांधीनगर (4-डी-10, बहुमंजिला, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
8.	445	श्री शंकर सिंह सहायक अनुभागाधिकारी राजस्व (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.09.2050	एफ-164 गांधीनगर (4-सी-3 बहुमंजिला, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
9.	446	श्री सुनील मीना सहायक अनुभागाधिकारी राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2052	एफ-183 गांधीनगर (4-सी-17, बहुमंजिला, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
10.	447	श्री रमन कुमार गुप्ता सहायक अनुभागाधिकारी वित्त (व्यय-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2045	एफ-200 गांधीनगर (4/55, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
11.	449	श्री करणीदान बारेठ सहायक अनुभागाधिकारी सार्वजनिक निर्गमन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2043	एफ-493 गांधीनगर (4/141, गांधीनगर, जयपुर (पुराना न. एफ-922, के स्थान पर)

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्ता समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- रवयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के अरफल रहने की तारीख से

- 6 माह की कालावधि तक आगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई ख्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

50

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सी.बी.) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/जे. के. लोन. चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. आयुक्त, वृत्ता-एच, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कोष कार्यालय, जयपुर शहर/शासन सचिवालय, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
11. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्चा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भेजवाये।
14. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्बलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करेंगे।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

11/12/21
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	पिता / पति नाम	
3.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
4.	वैवाहिक स्थिति	
5.	जन्म दिनांक	
6.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
7.	ईम्प्लॉयी आई.डी. (Employee ID)	
8.	आधार नंबर	
9.	मोबाइल नंबर	
10.	ई-मेल आई.डी.	
11.	वर्तमान पता	
12.	स्थायी पता	
13.	नियुक्तिकर्ता विभाग	
14.	पदस्थापन दिनांक	
15.	डी.डी.ओ. कोड एवं नाम	
16.	पे-मेट्रिक्स लेवल	
17.	ग्रेड पे एवं बैसिक पे	
18.	Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.)	
19.	Employee Status (Probationer/ Permanent etc.)	
20.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
21.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाइल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर